पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जुलाई, 2010 ई0 (श्रावण 02, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–30

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	207–208	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	129	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	95–111	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–2

अधिसूचना

06 जुलाई, 2010 ई0

संख्या 1041/XX(2)/04/रासुका/2003–चूंकि, पिछले दिनों उत्तराखण्ड के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुई हैं, और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई हैं और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है;

और, चूंकि, समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के लिये प्रतिकूल क्रियाकलापों में भाग ले रहे हैं;

और, चूंकि, उत्तराखण्ड में विद्यमान और सम्भावित उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव्, अब साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 65, सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा उत्तराखण्ड सरकार की सरकारी अधिसूचना संख्या–412/XX(2)/रासुका/04/2003, दिनांक 10 मार्च, 2010 का आंशिक उपान्तरण करके श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक 11 जून, 2010 से तीन माह की अग्रेतर अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।

आज्ञा से,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1041/XX(2)/04/NSA/2003,** dated July 06, 2010 for general information :

NOTIFICATION

July 06, 2010

No. 1041/XX(2)/04/NSA/2003--WHEREAS, in the past, there have been incidents of violence in certain districts of Uttarakhand and as a reaction there to, similar incidents have occurred in other parts of the State and are likely to occur in other parts of the State also;

AND, WHEREAS, anti social elements are indulging in activities prejudicial to the security of the State, maintenance of public order and maintenance of supplies and services essential to the community;

AND, WHEREAS, in view of the aforesaid circumstances prevail and likely to prevail in Uttarakhand, the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (Act No. 65 of 1980) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10. of 1897) and in partial modification of the Government of Uttarakhand Notification No. 412/xx(2)/NSA-04/2003, dated 10 March, 2010, the Governor of Uttarakhand is pleased to empower all the District Magistrates in the State to exercise the power, conferred by sub-section (2) of the said section 3 of the said Act for a further period of the three months, with effect from 11th June, 2010.

By Order,

RAJEEV GUPTA,
Principal Secretary, Home.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/367–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0ए0न0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जुलाई, 2010 ई0 (श्रावण 02, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 06, 2010

No. 292/UHC/XIV/77/Admin.A--Sri Sayan Singh, Addl. Chief Judicial Magistrate, Haldwani, Distt. Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 13 days. *w.e.f.* 14.06.2010 to 26.06.2010 with permission to prefix 12.06.2010 and 13.06.2010 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 27.06.2010 as Sunday.

July 07, 2010

No. 293/UHC/XIV/42/Admin.A--Sri Kanta Prasad, the then District Judge, Uttarkashi, presently posted as District Judge, Almora, is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 07.06.2010 to 26.06.2010 with permission to prefix 06.06.2010 as Sunday and to suffix 27.06.2010 as Sunday.

July 07, 2010

No. 294/XIV/13/Admin. A/2008–Sri Manish Kumar Pandey, Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, Distt. Pithoragarh, is hereby sanctioned earned leave for 23 days *w.e.f.* 02.06.2010 to 24.06.2010.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट / 367–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जुलाई, 2010 ई0 (श्रावण 02, 1932 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर निगम, देहरादून

16 जुलाई, 2010 ई0

पत्रांक 192–नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541(42) के अन्तर्गत तैयार की गई, "नगर निगम, देहरादून की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2009" जिसका पांडुलेख नगर निगम, देहरादून के अधिवेशन दिनांक 03–05–2010 में प्रस्ताव सं0 02 के माध्यम से रखा गया एवं सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मैं इन्दुधन बौड़ाई, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2009 के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गजट नोटिफिकेशन की तिथि से निम्नानुसार लागू करता हूं :–

नगर निगम, देहरादून की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2009

1–यह उपविधि नगर निगम की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2009" कहलायेगी।

2–यह उपविधि नगर निगम देहरादून के समस्त क्षेत्र में प्रभावी होगी।

3–यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4–परिभाषायें–

"नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक प्ररिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(i) "उपविधि" से तात्पर्य नगर निगम, अधिनियम 1959 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(ii) "नगर निगम" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिए संगठित नगर निगम, से है।

(iii) "मुख्य नगर अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम, अधिनियम, 1959 की धारा 58 के अधीन नियुक्त मुख्य नगर अधिकारी से है।

(iv) "स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम, देहरादून में शासन द्वारा तैनात वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर निगम के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(v) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य मुख्य नगर अधिकारी, अपर मुख्य नगर अधिकारी, उप नगर अधिकारी, सहायक नगर अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जोनल सेनेटरी अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है जिन्हें समय-समय पर मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो।

(vi) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648, नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(vii) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड, नगर निगम, अधिनियम, 1959 से है।

(viii) "जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable Waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे-बचा हुआ खाना, सब्जी-फल के छिलके, फूल-पौधों के पत्ते आदि।

(ix) "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-Biodegradable Waste) का तात्पर्य ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा-कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(x) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable Waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दुबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो जैसे-प्लास्टिक, पॉलिथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xi) "जैवचिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical Waste) से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है।

(xii) "संग्रहण" (Collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiii) "कचरा खाद बनाने" (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xiv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Demolition and Construction Waste) से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(xv) "व्ययन" (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvi) "अपशिष्टों के उत्पादक" (Generator of Waste) से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत हैं।

(xvii) "भूमिभरण" (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अवशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(xix) "नगर पालिका प्राधिकारी" (Municipal Authority) से म्युनिश्पिल कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगरनिगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी" (Local Authority) का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal Solid Waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचालक" (Operator of a Facility) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथककरण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

(xxiii) "पुनः चक्रण" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथकरण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजायन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखेरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

5–कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ादान रखेगा, जिनमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर निगम के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर निगम के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेंगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) लिये जायेंगे।

8–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर निगम से सम्पर्क कर निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करेगा।

9–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड–पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा सम्भव न हो नगर निगम से सम्पर्क कर निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10–नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपिशष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक को देना होगा।

11–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा।

13–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथककरण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14–निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठवाने की आवश्यकता समझी जाती है जो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर निगम/सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी। यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में निगम कोष/सुविधा के प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15–अनुसूची में दी गयी दरों में द्विवार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रु0 5/– के पूर्णांक में की जायेगी।

16–उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

17–इस उपविधि के अन्तर्गत नगर निगम को देय धनराशि नगर निगम अधिनियम, 1959 के अध्याय 21 में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

18–उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने पर प्रथम दोष सिद्धि के लिए रु0 500/– तक अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर रु0 20/– प्रतिदिन का अर्थदण्ड देय होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges) बोर्ड बैठक दि0 30–09–2009 द्वारा निर्धारित

अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि रु0 में
1. गरीबी रेखा से नीचे के घर (बीपीएल कार्ड धारक)	कच्ची झोपड़ी रु0 5.00, पक्का मकान रु0 10.00

अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट का प्रकार		प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि रु0 में
2.	कम आय वाले घर (बीपीएल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु0 5000.00 प्रतिमाह तक आय वाले घर)	रु0 20.00
3.	मध्यम आय वाले घर (रु0 5000.00 से अधिक रु0 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रु0 30.00
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु0 40.00
5.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में रु0 5.00 प्रतिदिन, दुकान / फड़ पर रु0 100.00
6.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 150 रु0 10 कि0ग्रा0 तक, उससे अधिक पर रु0 01.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त
7.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु0 150.00, मध्यम रु0 400.00 तथा बडे रु0 1000.00
8.	होटल / लॉजिंग / गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु0 100.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु0 200.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु0 300.00
9.	धर्मशाला	रु0 01.00 प्रति कमरा प्रतिमाह
10.	बारातघर (चेरिटेबिल) बारात घर (नॉन–चेरिटेबिल)	रु0 100.00 प्रति उत्सव रु0 300.00 प्रति उत्सव
11.	बेकरी	रु0 150.00
12.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक रु0 100.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु0 200.00, 101 से 300 कर्मचारियों तक रु0 300.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय रु0 500.00

	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि रु0 में
13.	स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु0 1000.00, उससे अधिक रु0 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
14.	स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक रु0 500.00, उससे अधिक रु0 1000.00
15.	हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक रु0 250.00, 21 बेड से 40 तक रु0 500.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु0 1000.00, उससे अधिक रु0 1500.00
16.	क्लीनिक / पैथोलोजी	क्लीनिक रु0 75.00, पैथोलोजी रु0 250.00
17.	दुकान / चाय की दुकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु0 20.00, बाजार की दुकान रु0 50.00, शोरूम रु0 150.00, छोटे मॉल रु0 500.00 बहुमंजिलें मॉल रु0 1000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क
18.	फैक्ट्री	छोटी रु0 300.00, मध्यम रु0 500.00, बड़ी रु0 1000.00
19.	वर्कशॉप	छोटी रु0 200.00, बड़ी रु0 500.00
20.	कबाड़ी	छोटे रु0 100.00, बड़े रु0 300.00
21.	जूस / गन्ने का रस विक्रेता	रु0 5.00 प्रतिदिन
22.	सार्वजनिक / निजी स्थलों पर सर्कस / प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु0 300.00, होटलों में विवाह रु0 1000.00 प्रति उत्सव
23.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक रु0 100.00, 1.0 घन मी0 तक रु0 200.00, 3.0 घन मी0 तक रु0 500.00, 6.0 घन मी0 तक रु0 1000.00, इससे अधिक प्रति घन मी0 रु0 100.00 अतिरिक्त
24.	सिनेमा हॉल	रु0 300.00 प्रतिमाह

अनुसूची–2 अपशिष्टों की श्रेणी

जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट	पुनःचक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ खाद्य अपशिष्ट जिसमें अण्डे के छिलके एवं हडिड्यां भी हो सकती हैं	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल, फ्लैशलाईट/कार बैटरी
घरेलू झाड़ू से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लीचें, घरेलू रसोई तथा नाली सफाई का सामान
सेनेटरी टॉवल	हर प्रकार के डिब्बे (परिसंकटमय को छोड़कर)	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार का कांच/धातु/रबड़/लकड़ी	रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य प्रसाधन तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल, पुड़िया, ट्रेटापैक, कैसेट, कम्प्यूटर डिस्केट, इलैक्ट्रॉनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन, सुई तथा सिरिंज, खराब दवाईयां, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे लाईट बल्ब, ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लोसेन्ट बल्ब थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद पेन्ट, तेल, गोंद, थिनर तथा उनके डिब्बे फोटोग्राफी के रसायन।

इन्दुधर बौड़ाई,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय, नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल

13 जुलाई, 2010 ई0

पत्रांक 209/22–ग0पा0/2010–संख्या 161/22 उपविधि 2010/यू0पी0 म्यूनिसिपैलीटीज ऐक्ट 1916 (उत्तराखण्ड) की धारा 298 (2) जे0डी0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम की धारा 128 (1) के अधीन पूर्व विज्ञप्ति संख्या 298/5–2002–2003, दिनांक 01 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित नगर पंचायत, मुनिकीरेती के सीमान्तर्गत पार्किंग स्थल व पार्किंग की वर्तमान दरों में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, यू0पी0 म्यूनिसिपैलीटीज ऐक्ट (उत्तराखण्ड) 1916 की धारा 301 की उप धारा (1) के अधीन उन समस्त व्यक्तियों के ऊपर जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये थे निर्धारित की गयी अवधि एक माह के अन्तर्गत कोई आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः नगर पंचायत, मुनिकीरेती द्वारा बनायी गई पार्किंग स्थल व पार्किंग शुल्क संशोधन चतुर्थ उपविधियां नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड) की धारा 298 (2) के अन्तर्गत अन्तिम रूप से गजट में प्रकाशित की जाती हैं जो कि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी।

नियमावली संशोधित अंश, 2010

पार्किंग शुल्क 4 का संशोधन–उत्तराखण्ड गजट 1 फरवरी, 2003 ई0 विज्ञप्ति 298/5–उपविधि के साथ प्रकाशित नगर पंचायत, मुनिकीरेती, जिला टिहरी गढ़वाल में पार्किंग स्थल व पार्किंग शुल्क नियमावली के उपनियम के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये संशोधित नियम रख दिये जायेंगे।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम		स्तम्भ–2 संशोधित नियम	
4:–उपरोक्त स्थानों के पार्किंग के रूप में प्रयोग करने पर निम्नलिखित दरों पर पार्किंग शुल्क देय या प्रतिदिन :–		4:–उपरोक्त स्थानों के पार्किंग के रूप में प्रयोग करने पर निम्नलिखित दरों पर पार्किंग शुल्क देय या प्रतिदिन :–	
1. मोटर लारी बस या ट्रक या ट्रैक्टर या भारी वाहन	रु0 30/– प्रतिदिन	1. मोटर लारी बस या ट्रक या ट्रैक्टर या भारी वाहन	रु0 50/– प्रतिदिन
2. कार, टैक्सी कार, जीप, स्टेशन वैगन, विक्रम	रु0 15/– प्रतिदिन	2. मैटाडोर/मिनि बस, मिनि ट्रक, कार, टैक्सी कार, जीप, स्टेशन वैगन	रु0 30/– प्रतिदिन
3. तांगा, हाथ ठेली आदि	रु0 10/– प्रतिदिन	3. विक्रम, थ्रीव्हीलर	रु0 15/– प्रतिदिन
4. मोटर, स्कूटर ऑटो रिक्शा	रु0 05/– प्रतिदिन	4. तांगा	रु0 15/– प्रतिदिन
5. मैटाडोर/मिनि बस, मिनि ट्रक	रु0 20/– प्रतिदिन	5. स्कूटर, मोटर साईकल	रु0 10/– प्रतिदिन
		6. साईकिल	रु0 05/– प्रतिदिन

ह0 अस्पष्ट/–
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, मुनिकीरेती,
टिहरी गढ़वाल।

ह0 अस्पष्ट/–
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, मुनिकीरेती,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय, नगर पंचायत, कालाढूंगी (नैनीताल)

29 मई, 2010 ई0

पत्रांक 2605/I–कर अनुभाग/स्था0नि0/2010–11–नगर पंचायत कालाढूंगी, जनपद नैनीताल ने शासनादेश सं0 2399/नौ–9–94–294 (जनरल)/09, दिनांक 27–10–94 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0 1847/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक जून 09, 1997 एवं शासनादेश सं0 161 सी0एम0/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधित अधिनियम, 2003) की धारा 298(1) "च", "छ" के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमा अन्तर्गत व्यवयाय करने वाले विभिन्न व्यवसायिक को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त लाइसेन्स उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 05, दिनांक 22–05–2010 के द्वारा कर दी गयी है।

अतः उप विधि उक्त एक्ट की धारा 300 (1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

उपविधियां

1–परिभाषा–किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर–

(क) ये उपविधियां नगर पंचायत, कालाढूंगी की सीमा अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायियों के विनियमन हेतु उपविधियां कहलायेंगी।

(ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत कालाढूंगी के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) नगर पंचायत, कालाढूंगी की सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(ङ) इन उपविधियों के अधीन नगर पंचायत, कालाढूंगी के अधिशासी अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

2–ये उपविधियां सरकारी गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

3–कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत, कालाढूंगी की सीमा अन्तर्गत निम्न अनुसूची "क" में दिये गये व्यवसायों को नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह नगर पंचायत कार्यालय से अपने से सम्बन्धित व्यवसायों हेतु लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर लेता।

4–प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इन उपविधियों के अधीन नगर पंचायत, कालाढूंगी के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5–प्रत्येक ऐसा निर्गत/प्राप्त लाइसेन्स एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होगा।

6–लाइसेन्सिंग अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्ण उसके विवेकानुसार व्यवसायिक दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी, जो निरीक्षण के पद के श्रेणी से कम न हो, द्वारा व्यवसायिक दुकान/प्रतिष्ठान की जांच करने पर ही लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

7–लाइसेन्सिंग अधिकारी को अधिकार होगा कि लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व खान–पान की सामग्री से सम्बन्धित व्यवसायिक दुकान अथवा फल सब्जी जो नित्य प्रति मानवीय प्रयोग के लिए विक्रय हेतु हो, की स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ सामान व बर्तनों में रखे होंगे जिससे मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके।

8–कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो स्वयं ऐसा व्यवसाय करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।

9–लाइसेन्सिंग अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायिक दुकानों, होटलों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली गन्दगी के विरुद्ध अथवा सड़ी गली सब्जियां, फलों के दुकान में रखने व विक्रय करने के विरुद्ध कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा।

10–प्रत्येक व्यापारी/व्यवसायी को चाहिए कि वह नगर पंचायत कार्यालय से लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक 1.50 रु0 (एक रुपया पचास पैसे) मात्र के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत करे और आवश्यक शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त कर लें।

11–उपर्युक्त उपविधियों में वर्णित किसी भी अंश का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेन्सिंग अधिकारी लाइसेन्स धारक के आवेदन–पत्र को उस समय तक लम्बित रख सकता है या निरस्त कर सकता है, जब तक कि ऐसे लाइसेन्स धारक के आवेदनकर्ता ने इन उपविधियों के अधीन सफाई स्वच्छता नित्य प्रति खान–पान से सम्बन्धित व्यवस्था व सार्वजनिक दुकान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा जांच करने पर सम्बन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्ट हिदायतों का सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो।

12–इन उपविधियों के अन्तर्गत खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों का दुकान से अलग–अलग व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुयें रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से अशोभनीय लगती हैं।

13–इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार व्यक्ति को लाइसेन्स न दिये जाने पर एक माह के अन्दर प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा, परन्तु अपीलकर्ता को उन उपर्युक्त नियमों के अधीन वर्णित व्यवस्था के अनुपालनार्थ उत्पीड़न होने की दशा में ही अपील की सुनवाई होनी सम्भव होगी।

14–लाइसेन्स धारक अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च तक नहीं कराता है तो उसे लाइसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लाइसेन्स हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

15–कोई भी लाइसेन्स धारक व्यक्ति, अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो वह अपना लाइसेन्स निरस्त कराने हेतु रुपया 1.50 के स्टाम्प पेपर/टिकट लगा कर प्रार्थना–पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

16–इन उपविधियों के किसी भी प्राविधान के बारे में जिलाधिकारी यदि संतुष्ट हैं कि उपविधियों के किसी प्राविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है तो उक्त प्राविधान को निलम्बित करने, छूट देने तथा संशोधित करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।

17–इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी लाइसेन्स स्वतः समाप्त हो जायेंगे। परन्तु जिन व्यवसायों को इन उपविधियों में उल्लेखित नहीं किया गया है, से सम्बन्धित पूर्व लाइसेन्स उपनियम यथावत् रहेंगे।

अनुसूची–क

क्र0सं0	विवरण	आपत्ति निस्तारण के पश्चात् संशोधित दर वार्षिक (रुपये में)
1	2	3
	होटल रेस्टोरेंट :	
1.	होटल लॉजिंग तथा गेस्ट हाऊस (10 शैय्या तक)	1000.00
2.	होटल लॉजिंग तीन सितारा होटल	6000.00
3.	होटल लॉजिंग पांच सितारा होटल	8000.00
	नर्सिंग होम :	
4.	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	1500.00
5.	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	3000.00
6.	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	625.00
7.	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	3500.00
8.	प्राइवेट अस्पताल	3500.00
9.	पैथोलॉजी सेन्टर	7500.00
10.	एक्स–रे क्लीनिक	1500.00
11.	डेन्टल क्लीनिक	1000.00
12.	प्राइवेट क्लीनिक	1000.00
	परिवहन :	
13.	ऑटो रिक्शा दो सीटर	100.00
14.	ऑटो रिक्शा सात सीटर (टैम्पो)	125.00
15.	ऑटो रिक्शा चार सीटर	400.00
16.	मिनी बस	400.00
17.	बस	675.00

1	2	3
18.	तांगा	50.00
19.	रिक्शा किराये पर	50.00
20.	रिक्शा (निजी चालित)	50.00
21.	ठेला/ठेली	50.00
22.	हाथ ठेला	25.00
23.	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	25.00
24.	ट्रॉली (जो व्यवसाय के उपयोग में हो)	50.00
25.	मोटर गेरेज	250.00
26.	स्कूटर गेरेज/रिपेयरिंग शॉप	250.00
27.	मोटर वाहन एजेन्सी/सर्विस	375.00
	अन्य व्यवसाय :	
28.	फाईनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड	4500.00
29.	इन्श्योरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	8000.00
30.	हड्डी खाल गोदाम	700.00
31.	बार/बियर	4000.00
32.	आईस फैक्ट्री	500.00
33.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	1000.00
34.	देशी शराब (प्रति दुकान)	6000.00
35.	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12000.00
36.	मछली की दुकान	150.00
37.	बकरा, मुर्गा, सुअर, मांस की दुकान	150.00
38.	धुलाई ग्रह (लॉन्ड्री)	500.00
39.	ड्राईक्लीनर	250.00
40.	आइस्क्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक सोडा एस्टेड वाटर फैक्ट्री	1050.00
41.	कोल्ड ड्रिंक एजेन्सी	200.00
42.	गुदडगोदाम	850.00
43.	कंकड तथा सुर्खी की भट्टी	5000.00
44.	चूना भट्टी	350.00
45.	ईंट का भट्टा	5250.00
46.	पेठा बनाने का कारखाना	850.00
47.	जूता बनाने का कारखाना	300.00
48.	लोहाव्यापारी, टिम्बर, सिमेन्ट, ईंट, बालू, मारबल, टाईल्स, सेनेटरी हार्डवेयर (फुटकर)	400.00

1	2	3
49.	फुटकर बिजली का सामान विक्रेता	125.00
50.	चाय थोक विक्रेता	225.00
51.	गट फैक्ट्री	500.00
52.	खाल एवं बाल उतारने वाले पर	200.00
53.	केटरिंग	200.00
54.	बिस्कुट बेकरी भट्टी	250.00
55.	बेकरी पावर	450.00
56.	हेयर कटिंग सैलून	200.00
57.	ब्यूटी पार्लर	200.00
58.	कुकिंग गेस एजेन्सी	250.00
59.	जनरल मर्चेन्ट (थोक)	400.00
60.	जनरल मर्चेन्ट (फुटकर)	125.00
61.	वस्त्र विक्रेता दुकान	250.00
62.	वस्त्र फड़	100.00
63.	रेडीमेड की दुकान	125.00
64.	फड़ रेडीमेड	100.00
65.	मूंगफली, चना, नमकीन आदि फड़ लगाकर	50.00
66.	जूते की दुकान	125.00
67.	जूते का फड़ लगाकर वेक्स	100.00
68.	फोटोग्राफर	125.00
69.	सेटरिंग/ढोले का सामान	125.00
70.	बिसातखाने का सामान फड़	100.00
71.	टेलरिंग हाऊस (5 कर्म0 तक)	125.00
72.	टेलरिंग हाऊस (5 कर्म0 से अधिक)	675.00
73.	कोयला (थोक विक्रेता)	875.00
74.	कोयला (फुटकर विक्रेता)	125.00
75.	मसाला/पान मसाला कारखाना फैक्ट्री	3500.00
76.	पेन्ट की दुकान	200.00
77.	ज्वैलर्स बड़े (5 लाख से ऊपर टर्न ओवर तक)	17500.00
78.	ज्वैलर्स छोटे (5 लाख से कम टर्न ओवर तक)	8000.00
79.	विज्ञापन एजेन्सी	8000.00
80.	डेयरी फार्म	750.00

1	2	3
81.	भूसा (थोक विक्रेता)	700.00
82.	भूसा (फुटकर विक्रेता)	500.00
83.	केबिल टी0वी0	250.00
84.	आर्कीटेक्ट कन्सलटेंट विधि चार्टड एकाउन्टेन्ट, फास्ट एकाउन्टेन्ट	4000.00
85.	फाउन्डिग इन्जीनियरिंग (इन्डस्ट्रियल)	800.00
86.	लोहार/बढ़ई	50.00
87.	मिट्टी के बर्तन विक्रेता	50.00
88.	मेडिकल स्टोर	250.00
89.	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खाण्डसारी (थोक विक्रेता)	1000.00
90.	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, आदि फड़ लगाकर	125.00
91.	टेन्ट हाऊस	500.00
92.	पान की दुकान	50.00
93.	चाय की दुकान	50.00
94.	जनरल मर्चेन्ट की दुकान फुटकर बड़ी/छोटी	150.00
95.	किताबों की फुटकर दुकान	125.00
96.	न्यूज पेपर	100.00
97.	लकड़ी की टाल की दुकान	100.00
98.	टिम्बर मर्चेन्ट	2000.00
99.	रेडियो मेकेनिक, टी0वी0, मरम्मत	200.00
100.	टी0वी0 शॉप/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	625.00
101.	मोबाइल की दुकान/मरम्मत	125.00
102.	फर्टिलाइजर/कीटनाशक दवाएं (शॉप)	200.00
103.	प्लास्टिक फैक्ट्री	1000.00
104.	प्लास्टिक ट्रेडर्स	250.00
105.	मिठाई की दुकान	250.00
106.	चाट/बताशा की दुकान	60.00
107.	ड्राईफूट विक्रेता	125.00
108.	गैस फिलिंग प्लान्ट	2000.00
109.	सब्जी एवं फल की दुकान	200.00
110.	सब्जी एवं फल का फड़	100.00
111.	फर्नीचर की दुकान (शो रूम)	875.00
112.	फर्नीचर विक्रेता	425.00
113.	क्राकरी विक्रेता	100.00
114.	फेरी लगाकर दूध विक्रेता	50.00

1		3
115.	कबाड़ की दुकान	250.00
116.	वर्कशॉप	250.00
117.	साईकिल मरम्मत की दुकान	100.00
118.	मोटर साईकिल रिपेयरिंग की दुकान	500.00
119.	पेट्रोल पम्प	750.00
120.	सहकारी गल्ला विक्रेता	125.00
121.	रसीबान विक्रेता	125.00
122.	पुस्तक एवं स्टेशनरी विक्रेता	125.00
123.	पुस्तक एवं स्टेशनरी / कलेन्डर (फड़)	100.00
124.	मिट्टी के खिलोने विक्रेता फड़ लगाकर	50.00
125.	मोची फड़	50.00
126.	चूड़ी विक्रेता फड़ लगाकर	50.00
127.	रेता एवं बजरी विक्रेता	125.00
128.	स्टील / एल्युमीनियम के बर्तन विक्रेता फड़ लगाकर	200.00
129.	सुनार की दुकान	500.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालीका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर मु0 1000/– (एक हजार) मात्र तक अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा। यदि समय अन्तर्गत लाइसेन्स धारक ने लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया और उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से रु0 25/– (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जायेगा। अर्थदण्ड वसूलने के विरोध में लाइसेन्स प्राप्तकर्ता को अपनी व्यक्तिगत परेशानी/विपदा व दुकान मालिक समय के लिए दुख–सुख की अवस्था में बन्द पड़ी रहने की दशा में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे मामले में अपने विवेक से ऐसे लाइसेन्स धारकों से ऐसी परिस्थिति में दण्ड वसूलें या न वसूलें।

31 मई, 2010 ई0

संख्या 2607/I–कर अनुभाग/स्था0नि0/2010–11–नगर पंचायत, कालाढूंगी, जिला–नैनीताल में यू0पी0 एक्ट, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड में भी लागू है) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, कालाढूंगी (नैनीताल) की सीमा के अन्दर भैंस/भैंसा गोश्त बिक्री को नियंत्रित करने हेतु लाइसेन्स शुल्क लगाने का निर्णय लेकर निम्नलिखित उपनियम बनाने का प्रस्ताव किया है। जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 06, दिनांक 22–05–2010 के द्वारा कर दी गयी है।

अतः उपविधि उक्त एक्ट की धारा 300(1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रारूप

(उपविधि–लाइसेन्स भैंस/भैंसा गोश्त बिक्री हेतु)

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–यह उपविधि नगर पंचायत, कालाढूंगी (नैनीताल) भैंस/भैंसा गोश्त बिक्री उपविधि 2010 कहलायेगी।

2–यह गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

3–भैंस/भैंसा गोश्त बिक्री हेतु लाइसेन्स नगर पंचायत, कालाढूंगी की पशुबधशाला के पास बड़ा मीट मार्केट में दुकान/फड़ में बोर्ड द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर अनुमोदन के पश्चात् दुकान/फड़ के लाइसेन्स जारी किए जाएंगे।

4–सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल स्वस्थ भैंस/भैंसा का ही वध किया जाएगा।

5–कोई भी व्यक्ति पालिका सीमान्तर्गत भैंस/भैंसा गोश्त बिक्री तब ही कर सकेगा जब उसने इस निमित्त लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो।

6–संक्रामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति लाइसेन्स प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

7–नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जो कि लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को बिना पूर्व सूचना दिये लाइसेन्स चैक करने का अधिकार होगा।

8–लाइसेन्सदार बिक्री हेतु पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेगा।

9–प्रत्येक लाइसेन्सदार को कुल दुकान/फड़ का निर्धारित वार्षिक किराया अग्रिम जमा करना होगा तथा लाइसेन्स शुल्क एवं प्रतिदिन प्रतिरास निर्धारित शुल्क पालिका को अदा करना होगा।

10–लाइसेन्सदार को भैंस/भैंसा का वध पालिका की वधशाला में पशुचिकित्सक की जांचोपरान्त करना होगा।

11–लाइसेन्सदार द्वारा खाद्य मांस की बिक्री की दुकान/फड़ के प्रत्येक खुले भाग पर चिक लगायी जाएगी ताकि बिक्री का मांस राहगीर न देख सकें।

12–मीट बिक्री की दर रु0 70.00 प्रति किलो निर्धारित की जाती है।

13–वधशाला से दुकान/फड़ में ले जाते समय मांस स्वच्छ कपड़े से ढककर ले जाया जाएगा।

14–चमड़ा, हड्डी मांस के बेकार टुकड़े इधर–उधर न फेंककर एक जैविक तथा एक अजैविक कूड़ा दान में एकत्र किये जाएगें तथा लाइसेन्सदार अपने व्यय पर उसका निस्तारण करायेगा। दुकान/फड़ के फर्श की सुबह–शाम पानी से धुलाई की जाएगी।

15–लाइसेन्स शुल्क 300.00 (तीन सौ रुपया) प्रति वर्ष होगा।

16–वध हेतु प्रतिरास शुल्क रु0 50.00 (पचास रुपया) होगा।

17–पशुवधशाला के पास स्थित दुकानों का किराया रु0 500.00 (पांच सौ रुपया) प्रति दुकान प्रति माह होगा।

18–लाइसेन्सदार उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होगा तथा उसको अपना प्रमाणित फोटो प्रस्तुत करना होगा तथा वह व्यक्ति ही मीट बेचेगा। उसके स्थान पर यदि अन्य कोई व्यक्ति मीट बिक्री करते पाया जाएगा तो वह लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।

19–शासन के निर्देशानुसार मासिक किराये की धनराशि में प्रत्येक पांच वर्ष बीतने के उपरान्त वृद्धि की जायेगी, जो कि किरायेदार को देनी होगी।

20–प्रत्येक भैंस/भैंसा मीट की दुकान में पालिका द्वारा निर्धारित किये गये मीट बिक्री की दर रु0 70.00 प्रति किलो की रेट लिस्ट लगाएगा।

21–लाइसेन्सदार मीट की दुकान में पालिका द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार ही दुकान खोलकर मीट बिक्री करेगा। यदि किसी लाइसेन्सदार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो पालिका द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।

22–प्रतिबन्धित दिनों बुद्धपूर्णिमा, महावीर जयन्ती गांधी जयन्ती महाशिवरात्री में कोई वध नहीं किया जायेगा।

23–प्रतिषेध–पशु गाय, बैल व उनका बच्चा जिनका वध नहीं किया जाएगा।

24–लाइसेन्सदार द्वारा लाइसेन्स अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

25–आवेदक को लाटरी सिस्टम से प्रतिवर्ष (जिसकी अवधि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी) लाइसेन्स दिया जायेगा।

26—मीट विक्रय हेतु शहर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। यदि लाइसेन्सधारी का मीट बाहर ले जाते हुए पाया जाएगा, तो उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।

27—लाइसेन्स हेतु आवेदन—पत्र नगर पंचायत से प्राप्त किए जायेंगे तथा आवेदन—पत्र का शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति आवेदन होगा।

शास्ति

लाइसेन्सदार द्वारा यदि उपरोक्त उपविधियों में से किसी विधि का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन उपविधियों के उल्लंघन पर रु0 1000/— (एक हजार रुपया) तक का अर्थदण्ड, विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त हो सकता है और जब अपराध निरन्तर जारी रहे तो अपराध सिद्ध होने के दिनांक से रु0 25/— (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन की दर से उपरोक्त के अतिरिक्त दण्ड हो सकता है।

दीप चन्द्र सती,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, कालाढूंगी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/367—भाग 8—2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।